

**छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय**

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

Email ID:-deputysecretary-gad@cg.gov.in, Ph. No.:- 0771-2510825

—00—

क्रमांक GENS-2001/65/2025-GAD-13

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक

/03/2025

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/
सचिव/विशेष सचिव (स्वतंत्र प्रभार)
छत्तीसगढ़ शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

विषय :- सामान्य प्रशासन विभाग की आर.टी.आई पोर्टल में पदनामित जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी का स्व-पंजीयन बाबत।

संदर्भ :- इस विभाग का पत्र क्रमांक एफ 7-1/2021/1-13 पत्र दिनांक 29.01.2022 एवं स्मरण पत्र दिनांक 02.02.2022, 07.03.2022, 13.04.2022, 08.06.2022, 03.08.2022, 17.10.2022, 21.11.2022, 29.03.2023, 23.05.2023, 23.08.2023, 08.11.2023 एवं मुख्य सचिव कार्यालय का पत्र क्रमांक 678/मु.स./2023 ,08.12.2023 एवं दिनांक 25.10.2024

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों का कृपया अवलोकन करें। सामान्य प्रशासन विभाग के आरटीआई पोर्टल में प्राप्त होने वाले आवेदनों के संबंध में आपके विभाग एवं अधीनस्थ कार्यालयों एवं मैदानी क्षेत्र के कार्यालयों में पदनामित जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी का आर.टी.आई पोर्टल URL - <https://rtionline.cg.gov.in> पर सभी संबंधितों के द्वारा दिनांक 26.12.2023 तक स्व-पंजीयन किये जाने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं तथा कार्यवाही अपेक्षित होने पर समय-समय में बार-बार स्मरण पत्र भी जारी किया गया है, किन्तु कार्यवाही आज दिनांक तक अपेक्षित है। छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग द्वारा दिनांक 12.10.2022 को आरटीआई पोर्टल का लोकार्पण किया गया है।

2/ माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका क्रमांक (सिविल) 360/2021 (किशन चंद जैन विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 09.10.2023 में दिए गए निर्देश के अनुसार दिनांक 31.12.2023 तक पदनामित जनसूचना अधिकारियों/प्रथम अपीलीय अधिकारियों को स्व पंजीयन कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

3/ परन्तु प्रशासकीय विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों के पदनामित जनसूचना अधिकारियों/अपीलीय अधिकारियों का आरटीआई पोर्टल पर स्व-पंजीयन (ऑनबोर्डिंग) का कार्य नहीं किया गया है। साथ ही यह भी देखा गया है कि जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों के पंजीयन करने के उपरांत ऑनलाईन प्राप्त होने वाले आवेदनों की नियमित अवलोकन नहीं करते हैं, जिससे अधिनियम में दी गई निर्धारित समय सीमा में आवेदनों का निराकरण नहीं होने के कारण आयोग में द्वितीय अपील एवं शिकायत प्रकरणों की संख्या निरंतर बढ़ रही है।

// 2 //

4 / निर्देशानुसार निर्देशित किया जाता है कि समस्त विभागों के जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों आर.टी.आई. पोर्टल पर स्व-पंजीयन (ऑनबोर्डिंग) अनिवार्य रूप से करें साथ ही स्व-पंजीयन पूर्ण होने का उक्त आशय का प्रमाण पत्र छ0ग0 राज्य सूचना आयोग को प्रेषित करते हुए इस विभाग को भी उपलब्ध करावें। जिन जनसूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा पंजीयन नहीं किया गया है उनके विरुद्ध प्रशासकीय विभाग नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। साथ ही संचालनालय स्तर संभागस्तर एवं जिला स्तर पर विभागवार एक-एक नोडल अधिकारी को पदनामित करें जिन्हें ऐसे प्रकरणों के विरुद्ध जिसमें जनसूचना अधिकारी उपस्थित नहीं होते हैं, उनकी उपस्थिति हेतु विभागों में नियुक्त नोडल अधिकारी के माध्यम से नोटिस तामिली करायी जा सके और नोडल अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह आयोग के नोटिस को संबंधित जनसूचना अधिकारी को तामिल करा कर आयोग को सूचित करेंगे।

समस्त विभागों के विभागाध्यक्ष/संचालनालय स्तर, संभाग स्तर एवं जिला स्तर पर नोडल अधिकारियों को पदनामित करने के संबंध में नोडल अधिकारियों की सूची नाम, पदनाम, कार्यालय का पता, विभाग, मोबाईल नंबर सहित छ0ग0 राज्य सूचना आयोग को प्रेषित करने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करेंगे।

अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग,

पृ.क्रमांक **GENS-2001/65/2025-GAD-13**
प्रतिलिपि :-

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक /03/2025

1. सचिव, छ.ग. राज्य सूचना आयोग, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर अटल नगर।
2. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर।
3. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), मंत्रालय नवा रायपुर अटल नगर।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग